भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 2850

उत्तर देने की तारीख : 12/08/2026

सरकारी नियोजन में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण

2850. श्री हारिस बीरान:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क): क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 के तहत आरक्षण ढांचे में, एक ही आरक्षित श्रेणी के भीतर 40 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों के बीच, विशेष रूप से दृष्टिहीनता और बधिरता के मामलों में, किसी तरह की श्रेणीगत या स्तर के अनुसार प्राथमिकता का प्रावधान है;

(ख): क्या शारीरिक दिव्यांगता और संवेदी अक्षमता, जैसे दृष्टिहीनता, को उनकी गंभीरता या प्रभाव के तुलनात्मक स्तर के आधार पर वर्गीकृत करने का कोई मानदंड मौजूद है;

(ग): क्या सरकार प्रत्येक आरक्षित श्रेणी के भीतर दिव्यांगता के प्रतिशत-बैंड के अनुसार चुने गए उम्मीदवारों के वितरण संबंधी आंकड़ों का अनुरक्षण रखती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ): क्या बेंचमार्क दिव्यांगता बैंड के भीतर गंभीरता-आधारित प्राथमिकता लागू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल.वर्मा)

(क) से (ग): दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 में सरकारी प्रतिष्ठानों में सीधी भर्ती में कुल रिक्तियों की संख्या में से बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए कम से कम चार प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। यह अधिनियम एक ही आरक्षित श्रेणी के भीतर बैंचमार्क दिव्यांगजन के बीच किसी भी श्रेणीबद्ध या स्तरीय वरीयता का निर्धारण नहीं करता है, और न ही यह सरकारी रोजगार में आरक्षण के उद्देश्य से तुलनात्मक संवेदनशीलता के आधार पर बैंचमार्क दिव्यांगता के वर्गीकरण का प्रावधान करता है। इसके अतिरिक्त, दिव्यांगता के प्रतिशत-समूह के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के वितरण का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

(घ): वर्तमान में, बैंचमार्क दिव्यांगता बैंड के भीतर गंभीरता-आधारित वरीयता शुरू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
